कार्यस्थल पर व्यावसायिक भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन : महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में

शोध निर्देशक
Mk- अशोक सेवानी

शोधकर्त्ता
कृष्ण प्रकाश माथुर शोध निदेशक एवं ofj"B 0;k[;krk
जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

मुख्य शब्द :– लैंगिक भेदभाव, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न व्यवसाय, कार्यस्थल आदि।

शोध सार :– महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव घर में, घर के बाहर, विभिन्न व्यवसायों में कार्यस्थलों पर होता है जो उनके सशक्तिकरण को रोकता है। कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना होगा, रीति–रिवाज परम्परा के नाम पर होने वाले शोषण को रोकना होगा पुरूषों के साथ महिलाओं की सोच में बदलाव लाना होगा। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति एवं असंगठित मजदूरों पर किये गए इस शोध से निष्कर्ष निकला कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए किये गए उपायों को कठोरता से लागु करना होगा।

परिचय :– महिला सशक्तिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से महिलाएँ स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम बनती है। उन्हें परम्पराओं एवं गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। पुरूषों की प्रधानता समाप्त कर महिला–पुरूषों में समानता की भावना का विकास होता है। इससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होकर महिलाओं को उचित सम्मान समाज में प्राप्त होगा।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ कतई ये नहीं है कि महिलाओं की महत्ता पुरूषों पर स्थापित हो।

यूनेस्को के अनुसार महिला सशक्तिकरण हेतु उनमें निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए एवं इसके लिए उनकी पहुँच सूचना एवं संसाधनों तक होनी चाहिए। महिलाओं को सामुहिक निर्णय लेने में अग्रणी रहना, परिवर्तन करने की क्षमता का विकास करना, किसी की सामुहिक या व्यक्तिगत शक्ति में सुधार का कौशल सीखना, लोकतांत्रिक साधनों एवं प्राचीन धारणाओं को परिवर्तित करने की क्षमता का विकास करना, विकास प्रक्रिया में सकारात्मक भागेदारी निभाना और कलंक पर नियंत्रण कर स्वच्छ छवी का निर्माण करना आना चाहिए, तभी वे सशक्त कहलायेंगी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला सशक्तिकरण के अग्रांकित पाँच घटक बताए गए हैं –

1. महिलाओं में आत्म मूल्य की भावना,
2. विकल्प चयन का अधिकार,
3. अवसर एवं संसाधनों तक सुगमता से पहुँच,
4. घर में एवं घर के बाहर स्वयं के जीवन पर नियंत्रण का अधिकार,
5. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह भी है कि महिलाओं द्वारा अपने जीवन को सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक दृष्टि से नियंत्रित कर परिधि से केन्द्र में आना। महिलाओं द्वारा शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, अधिकारों के प्रति जागरूकता, गतिशीलता, राजनीतिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कारकों में स्वयं निर्णय लेना महिला सशक्तिकरण है।

लैंगिक भेदभाव दूर करने, महिलाओं को अधीनता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने, शक्ति संबन्ध को चुनौती देने, निर्णय क्षमता का विकास करने से ही महिला सशक्तिकरण संभव है। इसके लिए शिक्षा एवं नौकरी या व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है।

लैंगिक असमानता :– सेक्स जैविक तथ्य है जबकि जेंडर या लिंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्य हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं :– 1. पुल्लिंग एवं 2. स्त्रीलिंग। लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष या स्त्री के गुण एवं उनके व्यवहारों के संदर्भ में किया जाता है, जिससे उनकी सामाजिक पहचान की जा सके। महिला एवं पुरुष में अनेक असमानताएँ या भिन्न–भिन्न गुण जन्मजात होते हैं। अलग–अलग विशेषताओं के आधार पर इन्हें अलग–अलग कार्य एवं भूमिका प्रदान की गई है। कोई भी मनुष्य जन्म के समय यह नहीं जानता कि उसका व्यवहार, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, लेकिन जैसे–जैसे उसका सामाजिकरण होता है वह अपने व्यवहार, भाषा बोलने का तरीका आदि सीखने लगता है।

विभिन्न समाजों में महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक भूमिकाएं अलग–अलग निर्धारित की गई है। पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक समाज में इनकी स्थिति लगभग विपरीत पाई जाती है।

जब लैंगिक आधार पर महिला एवं पुरुषों के मध्य असमान व्यवहार किया जाता है तो इसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह एक सामाजिक अवधारणा है।

कार्यस्थल पर भी लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। जिस कार्य में पुरुषों का वर्चस्व हो वहां पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। महिलाओं का वहाँ काम करना पुरुषों को पसंद नहीं आता है और वह ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे महिला स्वयं कार्य छोड़ कर चली जाए। पुरुष बहुल कार्य क्षेत्र में पुरुषों के काम की सराहना की जाती है और महिलाओं के कार्यों को नजरअंदाज किया जाता है। असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय है खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष सहकर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें अपशब्द बोलना, मारपीट करना, कम वेतन या मजदूरी देना, अधिक समय तक काम करवाना, समय पर मजदूरी ना देना, द्विअर्थी संवाद करना, यौन शोषण करना, अन्य सुविधाएं उपलब्ध न करवाना, ऐसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को उन्नति एवं विकास के अवसर अधिक प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न कार्यस्थल पर महिला एवं पुरुषों के लिए कार्य वितरण में भी असमानता बढ़ती जाती है। इसके लिए महिला पुरुष के जैविक अंतर का तर्क दिया जाता है। विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं के साथ अधिक भेदभाव किया जाता है।

लैंगिक भेदभाव दूर करने, महिलाओं को अधीनता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने, शक्ति संबन्ध को चुनौती देने, निर्णय क्षमता का विकास करने से ही महिला सशक्तिकरण संभव है। इसके लिए शिक्षा एवं नौकरी या व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से महिलाएँ स्वतंत्र निर्णय करने में सक्षम बनती है। उन्हें परम्पराओं एवं गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। पुरूषों की प्रधानता समाप्त कर महिला–पुरूषों में समानता की भावना का विकास होता है। इससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होकर महिलाओं को उचित सम्मान समाज में प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ कतई ये नहीं है कि महिलाओं की महत्ता पुरूषों पर स्थापित हो।

लैंगिक भेदभाव के कारण :– सम्पूर्ण भारत की बात हो या राजस्थान के जोधपुर जिले की सभी जगह महिलाओं के साथ भेदभाव होता आया है। महिलाओं के साथ हर स्थान पर हर स्तर पर भेदभाव देखने को मिल जाता है। यह भेदभाव घर में, समाज में, विद्यालय में, राजनीति में, नौकरी या व्यवसाय में और कार्यस्थल पर देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रमुख कारण, महिलाओं में शिक्षा की कमी होना, आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर होना, संयुक्त परिवार, बाल विवाह, पुरूष प्रधान समाज की परम्परा एवं रीती रिवाज जो महिलाओं को दोयम दर्जा देते हैं, आदि हैं।

लैंगिक भेदभाव के दूर करने के उपाय :– जोधपुर सहित सम्पूर्ण भारत में मध्य काल से ही महिलाओं के साथ भेदभाव बढ़ता गया और उनकी दशा बद से बदत्तर हो गई। वर्तमान में बालिका शिक्षा एवं महिलाओं में जागरुकता आने से इनकी दशा में परिवर्तन होने लगा है। फिर भी अभी अनेक अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। लैंगिक भेदभाव दूर करने हेतु महिला हो या पुरूष सभी मनुष्यों को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन करना आवश्यक है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, महिलाओं हेतु प्रशिक्षण संस्थानों का विकास करना, पारम्परिक कार्य विभाजन के तरिके में परिवर्तन करना, संवैधानिक सुधारों को सख्ती से लागु करना, महिला रोजगार में वृद्धि करना एवं महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अथक प्रयास करना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक है।

समस्या कथन : – ''कार्यस्थल पर व्यावसायिक भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन : महिलासशक्तिकरण के संदर्भ में''

अध्ययन के उद्देष्य :– अनुसंधानकर्त्ता ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए अग्रांकित उद्दे''य निर्धारित किये हैं :–

1. नौकरी या व्यवसाय करने के पूर्व एवं पश्चात् निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. विभिन्न व्वसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभावों को दूर करने के उपायों का अध्ययन करना।
3. विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
5. विभिन्न व्यवसायों में होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना :– शोधार्थी द्वारा अग्रांकित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है :–

1. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभावों को दूर करने के दिये गए उपायों में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों में सार्थक अन्तर नहीं है।

यादर्श का चयन :– शोधार्थी द्वारा जोधपुर शहर के शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक मजदूर (असंगठित क्षेत्र) एवं राजनीतिक क्षेत्र से 100–100 न्यादर्शों का चयन किया गया है। इनकी कुल संख्या 400 है।

परिसीमन (अध्ययन क्षेत्र) :– शोधकर्त्ता ने इस शोध के लिए अध्ययन क्षेत्र को परीसीमित करते हुए जोधपुर शहर के शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र (दैनिक मजदूर) एवं राजनीतिक क्षेत्र को चुना है।

संबंधित साहित्य का अवलोकन :– शोधार्थी द्वारा भारत में एवं भारत के बाहर पूर्व में किये गए शोध कार्यों की समीक्षा अग्रांकित प्रकार से है :–

करूणा, करूणा (2008) विकास एवं लैंगिक भेदभाव : हरियाणा का एक अनुभवात्मक अध्ययन

यह शोध हरियाणा में विकास और लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों के अध्ययन पर आधारित है। राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन 2001 के अनुसार जहाँ पंजाब और हरियाणा में उच्च आय स्तर उन्हें विकसित राज्य का दर्जा देती है परन्तु वहाँ बढती लैंगिक असमानता भी एक बड़ी सच्चाई है। सम्पूर्ण देश में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इस शोध का उद्देश्य यही है कि हरियाणा के विकास कों लैंगिक असमानता को दूर करने के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाए ? साथ ही लैंगिक असमानता के उप–समूहों का लैंगिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे :– शिक्षा व कार्य का स्तर,

सामाजिक समूह, आयु, वैवाहिक स्थिति, जीवन स्तर, और परिवार के सदस्यों की आय। इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

1. हरियाणा पूरे देश में लैंगिक समानता सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। अर्थात वहाँ के आर्थिक विकास का लैंगिक असमानता को कम करने में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।
2. हरियाणा में लैंगिक असमानता की जड़े हमें वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश में तलाश करनी चाहिए।
3. यदि हरियाणा में लैंगिक समानता को स्थापित करना है। तो वहाँ आर्थिक बदलाव, जनभागीदारी में वृद्धि और सामाजिक आंदोलन को एक साथ आगे बढाना होगा।

बी. एम. शर्मा (2005) महिला एवं शिक्षा

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में महिला सशक्तिकरण पर गांधीजी के विचारों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में महिलाओं की स्थिति के अधार पर महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों के महत्त्व का विश्लेषण किया गया है। एक अन्य अध्याय में शोधकर्त्ता ने विद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर से पलायन करने के कारणों पर चर्चा की है। यह पुस्तक भारत में महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छे ढ़ंग से प्रस्तुत करती है।

पांडे और एस्टोन (2001) ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता : संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों कि स्वतंत्र भूमिका

इस अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षा ही महिलाओं को लैंगिक असमानता से मुक्त करती है। एक शिक्षित पुत्री अपने परिवार को जो समर्थन व सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकती है वह समर्थन दो पुत्र मिलकर भी नहीं दे सकते। गरीब माता–पिता असुरक्षा और आर्थिक दायित्वों के कारण पुत्रों को पसंद करते हैं। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग भेद को समाप्त करने का मुख्य साधन महिलाओं को शिक्षा और वित्तीय अधिकार देना है।

डूवरी, एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001) भारत में घरेलू हिंसा : शिक्षा और रोजगार की भूमिका

इस अध्ययन से ये तथ्य सामने आये हैं कि शिक्षित महिलाएँ ही अशिक्षित महिलाओं को उनके अधिकारों व विशेषाधिकारों से अवगत करवा सकती हैं। समुदाय स्तर की गतिविधियाँ एवं क्रेडिट आधारित समूहों में महिलाओं की भागीदारी उनकी शिक्षा पर निर्भर करती हैं। महिलाओं को सम्मान व समानता के साथ अन्य महिलाओं के साथ कार्य करने की आन्तरिक शक्ति एवं आत्मविश्वास शिक्षा से प्राप्त होता है।

गेराल्डिन फोर्ब्स (1908) '' The new Cambridge History of India : Women in Morden India. ''

इस शोध से 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में पुरूष सुधारकों द्वारा पारम्परिक मान्यताओं के विरूद्ध महिलाओं के उत्थान की भूमिका पर बल दिया गया है। सुधारकों का यह मानना था कि शिक्षा ही महिलाओं को सशक्त बना सकती है। शिक्षा ही महिलाओं को उनकी समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होती है। लेखक के अनुसार शिक्षा ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं की विभिन्न रोजमर्रा की समस्याओं को समझने में भी सहायक सिद्ध होती है। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन से पूर्व भी महिला आन्दोलनों का अस्तित्व था। आज भी समाज में उनकी नवीन भूमिका के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए। उन्हें समाज में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से अवगत कराना चाहिए। निष्कर्षतः भारत की आजादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों का महिलाओं को कोई लाभ नहीं पहुँचा है। अतः यदि वास्तव में महिला सशक्तिकरण को साकार करना है तो हमें महिला आंदोलनों को समेकित कर एक ठोस आधार देना होगा।

शोध न्यूनता :– उपर्युक्त साहित्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि शोधार्थियों ने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का अध्ययन तो किया है। लेकिन कार्यस्थल पर होने वाले भेदभावों पर अब तक किये गए प्रयास नाकाफी लगते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति पर अनेक शोधार्थियों ने कार्य किया है लेकिन राजस्थान विशेषकर जोधपुर में महिलाओं की स्थिति एवं व्यावसायिक स्थल पर होने वाले लैंगिक भेदभाव पर अभी तक शोध नहीं किया गया है। अतः शोधार्थी द्वारा इस शोध विषय का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन की विधि :– इस शोध में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

शोध उपकरण :– शोध में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित उपकरण, प्रश्नावली एवं केस स्टडी का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :– प्रस्तुत शोध कार्य के विश्लेषण हेतु निम्न सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है :–

1. मध्यमान
2. प्रममाप विचलन
3. टी प्राप्तांक
4. अनोवा (एफ परीक्षण)
5. सह सम्बन्ध

शोध के निष्कर्ष :– उपरोक्त शोध हेतु शोधार्थी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से विभिन्न सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाले गए। इन निष्कर्षों में पाया गया कि – विभिन्न व्यवसाय में महिलाओं की स्थिति में सार्थक अंतर है। विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभावों को दूर करने के दिये गए उपायों में सार्थक अन्तर नहीं है। विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव में सार्थक अन्तर नहीं है। महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों में सार्थक अन्तर नहीं है।

शैक्षिक निहितार्थ :– यह शोध कार्य शिक्षार्थियों, नवीन शोधार्थियों, महिलाओं, व्यवसाय संचालकों एवं अधिकारियों, सरकार तथा समाज के सभी लोगों हेतु महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होगा। इस शोध कार्य से महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उनके साथ कार्यस्थल पर होने वाले भेदभावों को दूर करने हेतु अब तक किये गए उपायों में रही कमियों को जानने, इन्हें दूर करने एवं नवीन उपायों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। इन उपायों को अपना कर लैंगिक भेदभाव को दूर करते हुए महिलाओं को सम्मान एवं समानता का अधिकार प्राप्त होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. देसाई व्लास्सोफ कारोल (1994) गरीबी से अमीरी की ओर : एक भारतीय गाँव में महिलाओं की स्थिति पर ग्रामीण विकास का प्रभाव, एल्सेवियर साइंस लिमिटेड़, भाग – 22, संख्या – 5, 1994, पृष्ठ संख्या – 707–19.
2. ब्लूम (2001) एक उत्तर भारतीय नगर में महिलाओं की स्वायत्ता और मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव के आयाम, ड़ेमोग्राफी, भाग–38, संख्या–1.
3. गैरी बेकर और अमर्त्य सेन (1999) विकास स्वतंत्रता के रूप में, ओक्सफॉर्ड़ विश्विद्यालय प्रेस, न्यू यॉर्क 1999, पृष्ठ संख्या, 189–194.
4. पांडे और एस्टोन (2001) ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता : संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों कि स्वतंत्र भूमिका, जनसंख्या और विकास समीक्षा, भाग–11, संख्या–2
5. डूवरी, एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001) भारत में घरेलू हिंसा : शिक्षा और रोजगार की भूमिका, छठे महिलाओं की राजनीति शोध सभा, महिलाओं की स्थिति : भविष्य निर्माण के तथ्यों का आवरण, जून 8–9, 2001, वाशिंगटन डी सी.
6. Nath pramanik rathindra, (2006), gender Lhequality and women's empowerment,abhijeet publication Delhi
7. Sharadha Deva (Nov. – 2014) "Sexual Harassment of Women at Workplace – A Legal Mayth", Journal of India Education, Vol. – XXXX, No. – 3.
8. Government of India (1975) "Towards Equality" Report of the Committee on the Status of Women in India.
9. शोध गंगा
10. राजस्थान पत्रिका